Discussion on the Motion for consideration of Post Office Bill, 2023 (Motion adopted and Bill passed)

-

माननीय सभापति: आइटम नम्बर ? 38, डाकघर विधेयक, 2023.

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, Chairperson, Sir, for giving me the opportunity to speak on a very important piece of legislation called the Post Office Bill, 2023.

There have not been any amendments to the colonial-era law in the last 125 years. I appreciate the introduction of such an essential piece of legislation in the Parliament. I would like to share a few of my observations regarding the measures taken by the Centre in this regard. These are some of the very important points.

The Bill increases the authority of the Central Government to intervene in situations involving vital aspects such as security, fostering friendly relations

with foreign nations, maintaining public order, responding to emergencies, and ensuring public safety. More specifically, the Bill allows for the interception, examination, or temporary detention of any item in transit through the postal system under the aforementioned circumstances. Such a provision can be a game changer in terms of countering illicit smuggling and unauthorised transportation of drugs and contraband products via postal services.

Sir, the prescribed norms of using address identifiers and usage of postcodes which is a combination of numerals, letters, or digital code, used to identify a geographic area or place, and to facilitate the sorting and delivery of items, while encouraging innovation would also aid in minimising security threats. Thus, I applaud this proactive approach to addressing the evolving nature of threats and risks associated with the postal network.

The second important point is with regard to flexibility in pricing. In 2021, the courier, express, and parcel (CEP) market in India reached 3.9 billion pieces. It was a significant gain over the previous year with a compound annual growth rate of more than 26.7 per cent. Lockdowns imposed as a result of the coronavirus outbreak increased e-commerce and strengthened the CEP

sector. Hence, within the context of India's postal system, the latest Bill marks a significant shift by granting the Postal Department the right to establish rates for their services independently. This enhanced pricing flexibility is considered critical, especially in the context of an increasingly competitive business which lets the postal services promptly respond to the market's everchanging expectations.

Furthermore, the postal service's independent pricing allows it to stay adaptable in the face of a changing economic situation. The ability to alter service charges and pricing structures allows the Department to ensure that its services remain affordable, accessible, and sustainable even when economic conditions change. In essence, this empowerment aligns with the Postal Department's mandate to deliver a diverse spectrum of citizen-centric services.

Chairperson Sir, in contrast to the outdated provisions of the existing 1898 Act, the Bill introduces a significant shift in its approach to the interception of objects within India?s postal system. The key distinction is in the usage of the terminology, wherein the present Act explicitly defines seized postal products as those carrying ?explosive, dangerous, filthy, noxious, or deleterious substances. I would like to give some suggestions on behalf of the YSR Congress Party. Although the new Bill gives India Post authority to improve its operations in the postal services, it is critical to recognise that the regulatory environment for courier enterprises is still relatively underdeveloped. This regulatory void presents a number of significant questions. India Post has a market share of less than 15 per cent in the vast Courier, Express and Parcel (CEP) industry, highlighting the difficulties the postal service faces in controlling the courier industry. Before I conclude, hon. Chairperson, Sir, I would

like to mention that the passage of this Bill is an important step in the restructuring of India?s postal services ushering them into the modern era. By repealing outdated restrictions, this Act guarantees that India?s postal industry stays dynamic and inclusive, successfully adapting to the changing requirements of its varied population.

With these few suggestions, I support this Bill on behalf of the YSR Congress Party. Thank you very much, Sir.

माननीय सभापति : श्रीमती प्रतिमा मण्डल ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गजानन कीर्तिकर ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री दिलेश्वर कामैत ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री भोला सिंह ।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे डाक विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया है और इस नए सदन में पहली बार बोलने का अवसर मिल रहा है**,** इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।?(व्यवधान) मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं ।?(व्यवधान) पिछले नौ सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डाकघरों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, पहले हम देखते थे कि डाकघरों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी ।?(व्यवधान) क्षेत्र के गांववासियों को डाकघरों के पोस्टमैन का इंतजार रहता था कि कब वे हमारे नियर-डियर की चिट्ठियां लेकर हमारे पास आएंगे, कब हमें उनका समाचार पत्र के माध्यम से मिलेगा??(व्यवधान) पहले पोस्टमास्टर्स को काम करने में बहुत कठिनाइयां होती थीं, लेकिन जब से इस देश की कमान हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी को प्राप्त हुई, तब से डाकघरों की स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है ।?(व्यवधान) उनकी जो स्थिति के साथ-साथ उनकी कार्यप्रणाली और कार्यशैली में भी बहुत सुधार हुआ है ।?(व्यवधान) उनके माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, उनकी जनकल्याणकारी सुरक्षा योजनाओं के

माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है ।?(व्यवधान) हम देख रहे हैं कि चाहे बचत खाता हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो या अन्य सरकार की योजनाएं हों, जिनके माध्यम से, आज पोस्टमैन के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक लोगों को योजना की डिलीवरी हो रही है ।?(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमने देखा है कि हर जिले में हमारी सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पासपोर्ट ऑफिस बनाये हैं ।?(व्यवधान) सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस है, उसमें पासपोर्ट ऑफिस बन गया है, जिसके कारण वहां के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए कहीं बाहर जाने, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ।?(व्यवधान) उनको वहीं पर पासपोर्ट मिलते हैं और वहीं पर सरकार की योजना, जितने बचत खाते हैं, सभी की सुविधा मिलती है ।?(व्यवधान) पिछले नौ सालों में, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 26 करोड़ एकाउंट्स, जिनमें 17 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हुई है । सुकन्या समृद्धि योजना में तीन करोड़ से अधिक एकाउंट्स खोले गए हैं । उन खातों में एक लाख, 41 करोड़ रुपए की डिपॉजिट है ।?(व्यवधान)

पूरे देश में पासपोर्ट के 434 सेंटर्स बनाए गए हैं । आधार कार्ड का एनरोलमेंट इनके माध्यम से होता है ।?(व्यवधान) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अनेकों योजनाएं हैं और एकाउंट्स खोले गए हैं ।? (व्यवधान) इन बैंकों में लगभग 8 करोड़ एकाउंट्स खोले गए हैं और आधार कार्ड के 10 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन हो चुके हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री भोला सिंह : डीबीटी के माध्यम से साढ़े 3 करोड़ एकाउंट्स खोलने का काम किया गया है ।? (व्यवधान)

सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं ।?(व्यवधान) मैं आपका पुन: धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री प्रतापराव जाधव जी । आप प्लीज संक्षेप में अपना वक्तव्य रखिए ।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, मैं माननीय संचार मंत्री जी द्वारा पेश किए गए डाकघर विधेयक, 2023 का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं ।? (व्यवधान)

महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिशा-निर्देश में हमारे विद्वान मंत्री माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे पोस्ट ऑफिस कानून को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य यहां पर किया है ।? (व्यवधान)

महोदय, भारतीय डाक सेवा की स्थापना यूं तो 166 साल पहले 1 अप्रैल, 1854 को हुई थी, लेकिन सही मायने में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर, 1854 को मानी जाती है। उस वक्त लगभग 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी।? (व्यवधान)

महोदय, एक समय था, जब लोग खत या चिट्ठी के माध्यम से अपने शब्दों को ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी पिरोया करते थे।? (व्यवधान) इन खतों के माध्यम से वे सुख-दु:ख की कहानियों के साथ-साथ ढेर सारा प्यार भी आपस में बांट लेते थे।? (व्यवधान)

महोदय, यह देखने वाली बात है कि संचार क्रांति ने चिट्ठियों पर बेशक असर डाला है, पर हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिशा-निर्देश में भारत सरकार ने बहुत तेजी से डाक व्यवस्था का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया। इसके जरिये सरकारी योजनाओं को भी घर-घर तक पहुंचाया।? (व्यवधान) दुनिया भर में जहां डाक सेवाएं सिमट रही हैं, वहीं भारतीय डाक न केवल तकनीक के साथ कदमताल कर रहा है, बल्कि अपना विस्तार भी कर रहा है।? (व्यवधान)

महोदय, वर्तमान में देश भर में डाकघरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है।? (व्यवधान) भारत में कुल 1 लाख 64 हजार डाकघर हैं। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार ने देश में लगभग 660 डाकघरों को बंद किया था।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप संक्षेप में बोलिये।

? (व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव : लेकिन माननीय मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने 5000 नए डाकघर खोले हैं। आज गांवों में डाकघरों का ढांचा बहुत ही मजबूत है।? (व्यवधान)

महोदय, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने डाकघर क्षेत्र में लगभग 1 लाख 28 हजार नए रोजगार दिए हैं और इतने ही और देने जा रहे हैं।

महोदय, आज़ादी के कई वर्षों बाद तक डाक विभाग के कंधों पर देश की सूचना और संचार तंत्र का सबसे बड़ा जिम्मा था।? (व्यवधान) इसके बावजूद यह विभाग सरकारी उपेक्षा का शिकार बना रहा, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के दिशा-निर्देश में हमारे विद्वान मंत्री माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने संचार क्षेत्र की अहमियत को समझा और डाक सुधारों का जिम्मा उठाया।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बस अंतिम वाक्य बोल दीजिए।

? (व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। केन्द्र और राज्य सरकारों की डीबीटी सेवाओं को इंडिया पोस्टल बैंक के माध्यम से चलाना और योजनाओं के सभी खाते, जो छोटे खाते हैं, गरीबों के खाते हैं, देहातों में खाते हैं, उनको नेशनलाइज बैंकों से ट्रांसफर करके पोस्ट ऑफिस को देने चाहिए ताकि लोगों के ज्यादा देर तक रुकने के कारण उनके काम का नुकसान न हो ।? (व्यवधान) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को ऑपरेटर की ट्रेनिंग और मॉनीटरिंग का कार्य दिया गया था। वह सही ढंग से नहीं कर रही है ।? (व्यवधान) उस काम को भी पोस्ट ऑफिस को देना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने की जो पुरानी बिल्डिंग है और कुछ कार्यालय किराये के भवनों पर चल रहे हैं, इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि शहरों में या बड़े शहरों में जो ऐसी जगह हैं, वहां बीओटी के माध्यम से डाकघर बनाए जाएं तथा बचे हुए पैसों से हम देहातों में भी नए डाकघर खोल सकते हैं ।? (व्यवधान)

ऐसे बिना दावे के जो खाते हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है, जिसमें लगभग 16 हजार करोड़ रुपए की राशि पड़ी है ।? (व्यवधान) ऐसे खातों की राशि को कुछ समय पश्चात् सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फण्ड में रखा जाता है ।? (व्यवधान) उसके बाद इसे वित्त मंत्रालय द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मेरी यह मांग है कि इस राशि में से कुछ राशि यदि डाक विभाग के आधारभूत संरचना के उपयोग में लायी जाए तो अच्छा होगा ।? (व्यवधान)

डाक विभाग की पार्सल पैकेजिंग सेवा को अमेजन एवं फ्लिपकार्ट जैसी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े पार्सल की पैकेजिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्ययकता है ।? (व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पोस्ट ऑफिस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें।

? (व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा : महोदय, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पोस्ट ऑफिस अधिनियम, 1898 के प्रावधानों में लाये गये संशोधन बिल का मैं समर्थन करता हूँ।? (व्यवधान) लगभग 150 वर्षों से पोस्ट ऑफिस देश में संचार का प्रमुख साधन रहा है ।? (व्यवधान) देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।? (व्यवधान) देश में करीब 159 लाख पोस्ट ऑफिस नेटवर्क्स हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से डाक विभाग लगातार घाटे में चल रहा है, जिसमें सुधारकर ज्यादा से ज्यादा इसकी इनकम बढ़ाने की जरूरत है ।? (व्यवधान) डाक विभाग की सुविधाओं को और दुरुस्त करने एवं दूरदराज के इलाकों में इसका प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है ।?

(व्यवधान) इसके साथ ही, प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर, उनका शीघ्र निवारण किया जा सके, इसका प्रावधान भी इस बिल में किया जाए ।? (व्यवधान)

मौजूदा बिल में कई आपराधिक मामलों को हटाया गया है और पार्सल खो जाने या टूट-फूट हो जाने एवं प्राइवेसी को लेकर भी एक चिन्ता बनी हुई है ।? (व्यवधान) डाक अधिकारी को कुछ आधार पर पार्सल को रोकने और जाँच के नाम पर उसे खोलकर देखने का अधिकार मिलने से यह तय करना मुश्किल होगा कि अधिकारी ने किस उद्देश्य से पार्सल को खोलकर देखा ।? (व्यवधान) इसमें डाक कर्मचारी व अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, उसके लिए इस पर विचार करने की जरूरत है ।? (व्यवधान)

इसके साथ ही, कीमती सामानों के पार्सल पर बीमा की व्यवस्था हो, जरूरत के हिसाब से अच्छी पैकेजिंग हो, सुरक्षित और समय पर इसकी डिलीवरी हो सके, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे न केवल उपभोक्ताओं में डाक विभाग के प्रति विश्वास बढ़ेगा, बल्कि डाक विभाग को आर्थिक रूप से भी लाभदायी बनाया जा सकेगा ।? (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद ।? (व्यवधान)

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): माननीय सभापति महोदय, आज जब सरकार इस विभाग का बिल लेकर आयी तब इस बिल के संबंध में आदरणीय सांसद शशि थरूर से लेकर श्री रामशिरोमणि वर्मा तक काफी सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया, उनके सजेशंस भी आए। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 170 साल पुराना यह विभाग है। यह कोई सामान्य विभाग नहीं है ।? (व्यवधान) यह विभाग एक इतिहास की कड़ी है, यह विभाग हमारे गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास की कड़ी है । ?डाकिया केवल डाक लाया?, यह उस समय की बात थी ।? (व्यवधान) उस समय डाकिया हर परिवार का सदस्य था, वैसे ही लगभग 1 लाख 64 हजार पोस्ट ऑफिसेज के जरिए आज हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, इनकी प्रेरणा से हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति तक सिटीज़न सेंट्रिक सेवाएं दे रही है ।? (व्यवधान)

सही मायने में, हमारी पार्टी की जो फिलॉसफी है, हम जो अंत्योदय की बात कर रहे हैं, सही मायने में उसकी जो भूमिका होती है, अगर सही मायने में अंत्योदय के संबंध में, किसी की सराहनीय भूमिका है, तो वह पोस्टल विभाग की है ।? (व्यवधान)

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का मूलमंत्र रहा है- ?रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ।? हमारे विभाग ने इन्हीं कार्यशैली को आत्मसात करके पूरे विभाग को टेक्नोलॉजी ड्रिवेन बनाया है ।? (व्यवधान)

जो आदरणीय प्रधान मंत्री जी बोलते हैं, ?मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस?, तो टैक्नोलॉजी के जरिए आज हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। ? (व्यवधान)

आदरणीय सभापति जी, यह बिल इन्हीं रिफॉर्म्स की एक बड़ी कड़ी है। ? (व्यवधान) आज भारत की नई पीढ़ी की आकांक्षा, अपेक्षा के अनुसार हमने भी अपने विभाग में कई नवाचार शुरू किए हैं। ? (व्यवधान) वर्ष 2018 से भी काफी नवाचार हुए। ? (व्यवधान) मैंने वर्ष 2018 में एक विशेष नवाचार किया ? India Post Payments Bank (IPPB). इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सर्विस शुरू करने के बाद हर गांव में हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, वूमेन इम्पॉवर्मेंट और युवाओं के लिए एक तरीके से आने वाले अमृत काल में प्रधान मंत्री जी जिस अमृत स्तंभ की बात कर रहे हैं, वे चारों अमृत स्तंभ, चाहे वह महिलाओं की बात हो, चाहे वह युवाओं की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो या किसानों की बात हो, इन चारों अमृत स्तंभों का सशक्तीकरण करने के लिए हमारे विभाग ने काफी काम किया है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। ? (व्यवधान) महिला सशक्तीकरण की दिशा में हमारे विभाग ने ?सुकन्या समृद्धि योजना? के तहत तीन करोड़ अकाउंट्स खोलकर आज 1,41,000 करोड़ सेविंग अकाउंट्स में यह पैसा जमा किया है। ? (व्यवधान) हमने ?महिला सम्मान बचत पत्र? में, 22 लाख बचत पत्र में 14,000 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सेविंग्स की हैं। ? (व्यवधान)

आईपीपीबी के आज आठ करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं। ? (व्यवधान) मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस होता है कि इन आठ करोड़ अकाउंट्स में 48 परसेंट महिलाओं के अकाउंट्स हैं। ? (व्यवधान) युवाओं के लिए भी हमने काफी काम किया है। ? (व्यवधान) आज तक हमारे विभाग ने 1,28,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है। ? (व्यवधान) हमने कई सोशल सर्विसेज शुरू की हैं। ? (व्यवधान) हमने करीब 400 से अधिक पासपोर्ट सेवा केन्द्र इस देश में शुरू किए हैं। ? (व्यवधान) हमने आधार कार्ड सेवा शुरू की है। ? (व्यवधान) आज दस करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड हमारे पोस्टल विभाग ने बनाए हैं। ? (व्यवधान) हमने ?डाक निर्यात केन्द्र? शुरू किए हैं। ? (व्यवधान) डीबीटी के माध्यम से 28 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशरीज आज पोस्टल विभाग से अपना बेनिफिट ले रहे हैं। ? (व्यवधान)

150 से अधिक सिटिजन सेंट्रिक सेवाएं चल रही हैं। ? (व्यवधान) इन 150 से अधिक सिटिजन सेंट्रिक सेवाओं में 90 प्लस सिटिजन सेंट्रिक सेवाएं केवल हमारा विभाग आज देश को प्रदान कर रहा है। ? (व्यवधान) कुछ दोस्तों ने आज सेक्शन-9 और सेक्शन-10 की बात की है। ? (व्यवधान) विशेष तौर पर कांग्रेस के साथियों ने, आदरणीय डॉ. शशि थरूर जी ने बात की है। ? (व्यवधान) मैं उनको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ? (व्यवधान) वर्ष 1986 में कांग्रेस की सरकार ने, उनके प्रधान मंत्री यही अमेंडमेंट लेकर आए थे। ? (व्यवधान) यह अमेंडमेंट

करने के बाद उन्होंने इस अमेंडमेंट के साथ नया बिल ? (व्यवधान) ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जब हम लाएंगे, तब हम बात कर सकते हैं। ? (व्यवधान) सेक्शन-9 और सेक्शन-10 हमने ऑलरेडी सबके सामने रखा है कि क्या पब्लिक सेफ्टी के लिए देश हित में सेक्शन लगाना चाहिए? ? (व्यवधान) इन सुधारों के साथ यह एक छोटा सा बिल है, लेकिन आने वाले समय में देश हित में, समाज हित में बहुत बड़ा परिवर्तनकारी यह बिल रहेगी।

मैं यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं इस बिल को पास करने के लिए सभी सांसदों से निवेदन करता हूं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। आपने उसके अंदर भाग नहीं लिया। यह ठीक नहीं है। आपका इस प्रकार का असहयोग अच्छा नहीं है। आप सब बहुत जिम्मेदार माननीय सांसद हैं। आपको कृपया इस बिल की चर्चा के अंदर भाग लेना चाहिए था, अपने विचार रखने चाहिए थे।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.23 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourty-Five Minutes past Fourteen of the Clock.

____

14.45 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourty- Five Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

? (व्यवधान)

14.45½ hrs

At this stage, Dr. K. Jayakumar, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Shri Kaushlendra Kumar, Dr. Thol Thirumaavalavan,

Shri E.T. Mohammed Basheer and some other hon. Members came

and stood on the floor near the Table.

? (व्यवधान)

14.46 hrs

POST OFFICE BILL, 2023? Contd.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि भारत में डाकघर से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, प्रो. सौगत राय, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. आलोक कुमार सुमन, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री रितेश पाण्डेय और एडवोकेट डीन कुरियाकोस, आप सभी ने विधेयक पर अपने संशोधन दिए हैं। आप अपनी सीट पर वापस जाकर संशोधन प्रस्तुत करें, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 16 विधेयक के अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव कीजिए कि विधेयक को पारित किया जाए।

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.48 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

____

-

15.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

? (व्यवधान)

15.00½ hrs